



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
विद्युत खण्ड-तृतीय
ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल,
कल्याणपुर, कानपुर-208017
E-mail: ed3knp@upavp.com



पत्रांक

279

/वि0खं0-3, कानपुर/ 56 / 61

दिनांक : 21-2-18

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निम्न विवरणानुसार ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो कि ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली द्वारा खोली जायेंगी।

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | धरोहर धनराशि (रु0 लाख में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | ई-निविदा डाउनलोड करने की तिथि | तकनीकी बिड खुलने की तिथि व समय | फाइनैशियल बिड खुलने की तिथि व समय |
|---------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अवस्थापना निधि द्वारा उन्नाव शहर के अचलगांज तिराहे से गदन खेड़ा तक सड़क के मध्य सेन्ट्रल वर्ज पर मार्गीय प्रकाश व्यवस्था का कार्य। (अ) ग्रुप - क (ब) ग्रुप - ख | 1.40 1.40 | 3000 +5% GST 3000 +5% GST | 03 माह 03 माह | 13.03.18 13.03.18 | 20.03.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे | 23.03.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे |
| 2 | अवस्थापना निधि द्वारा योजना सं0-1, कानपुर के विभिन्न सेक्टरों में स्थित पार्कों के सौन्दर्यीकरण सम्बन्धित विकास कार्य। ग्रुप - (अ) ग्रुप - (ब) ग्रुप - (स) | 0.60 0.60 0.60 | 1500 +5% GST 1500 +5% GST 1500 +5% GST | 03 माह 03 माह 03 माह | 05.03.18 05.03.18 05.03.18 | 12.03.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे | 12.03.2018 सायं 15.30 बजे |
| 3 | सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर-13 में नवविकसित 28 नग भवनों के क्षेत्र में मार्गीय प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 0.10 | 500 +5% GST | 01 माह | 28.02.18 | 07.03.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे | 07.03.2018 सायं 15.30 बजे |

नियम एवं शर्तें :

- निविदा प्रपत्र एन.आई.सी. की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उ0प्र0 इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/निर्मिताओ द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
- अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रकाशनार्थ नहीं

- निविदादाता को, निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन से पूर्व कार्य की लागत का 10% (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर के पक्ष में बन्धक हो, जमा करनी होगी।
- फर्म की दरें निविदा की बी.ओ.क्यू. में अंकित दरों से 10 प्रतिशत तक कम होने तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम होने पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारंटी उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी.सी. दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार जमा करने के पश्चात् अनुबन्ध गठित किया जाएगा।
- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध के निष्पादन हेतु रु0 100.00 मूल्य का नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा। यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/शासन द्वारा स्टाम्प पेपर के मूल्य के सम्बन्ध में अन्य कोई आदेश पारित होते हैं तो तदनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध के समय रु0 10.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- समस्त कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
- ठेकेदारों/श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में होना अनिवार्य है।
- निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तों का पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध होगा, जिसका ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती है जिसके लिये निविदादाता का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता द्वारा दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा। यदि दस्तावेजों के फर्जी या गलत होने की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

क्रमश.....2



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
विद्युत खण्ड-तृतीय
ऑफिस कॉम्प्लैक्स, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल,
कल्याणपुर, कानपुर-208017
E-mail: ed3knp@upavp.com



पत्रांक

/वि०खं०-3, कानपुर/

दिनांक :

(2)

9. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूम्यूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. निविदादाता को व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा उसके सभी देयकों से प्रभावी दरों पर GST, आयकर एवं अन्य कोई कर जिसे सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती/समायोजन नियमानुसार की जायेगी।
11. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया, गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिससे किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
12. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी)के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में देय होगी।
13. सक्षम अधिकारी को उक्त निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
14. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।
15. सभी फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें।

पत्र सं०

279

G-6, 61

दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को उक्त निविदा सूचना आवास विकास की अधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
4. सहायक अभियन्ता प्रथम क्र.सं.-3 तथा सहायक अभियन्ता द्वितीय क्र.सं.- 1 व 2, विद्युत खण्ड- तृतीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि वे एक सप्ताह के अन्दर निविदा प्रपत्र तैयार कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सहायक लेखाधिकारी, विद्युत खण्ड- तृतीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
6. संबंधित अवर अभियन्ता क्र.सं०-1 श्री घनश्याम लाल/सुधाकर पाठक, क्र.सं.-2 श्री घनश्याम लाल /सुधाकर पाठक/ श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव क्र.सं.-3 श्री उमेश चन्द्र मिश्रा, अवर अभियन्ता विद्युत खण्ड- तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
7. नोटिस बोर्ड, विद्युत खण्ड- तृतीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
8. मेसर्स परफेक्ट पब्लिसिटी, 93/116 नई सडक, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि वे निविदा सूचना को कम से कम स्थान में कानपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "आज" एवं लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "द पायनियर" में निविदा सूचना को तीन दिन के अन्दर प्रकाशित कराने के उपरान्त भुगतान हेतु बिल द्विपर्ण में इस कार्यालय में प्राप्त कराने का कष्ट करें।

(आवेश)

अधिशासी अभियन्ता

21-2-18

अधिशासी अभियन्ता